कार्यालय मुख्य आयुक्त

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

39/1, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

दूरभाषः 0135–2608974, फैक्स–2608973

विज्ञप्ति

संख्याः 01/निजी सचिव/2017

1. उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग में शासनादेश संः 482/XLIII(1)/15–20(05)14, दि० 30.03.2015 द्वारा सृजित निजी सचिव के 02 पदों हेतु राज्य सरकार के सचिवालय/विभागों/संस्थानों/निगमों/आयोगों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/बाह्य सहायतित परियोजनाओं/समितियों/परियोजना प्रबंधन इकाईयों आदि के विभिन्न कार्यालयों/प्रतिष्ठानों के नियमित, सेवानिवृत्त अथवा संविदा पर कार्यरत, निम्न विवरणानुसार न्यूनतम अर्हता रखने वाले, इच्छुक कार्मिकों से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैंः–

<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>पदनाम</th><th>पदों की संख्या</th><th>नियुक्ति की प्रकृति</th><th>वेतनमान एवं ग्रेड वेतन</th><th>न्यूनतम अर्हता/अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2">निजी सचिव</td><td rowspan="2">02</td><td>प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण</td><td>₹ 9300– 34800 एवं ग्रेड–पे ₹ 4800/– (उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 का लेवल–8)</td><td rowspan="2">उपरोक्तानुसार वर्णित राज्य सरकार के कार्यालयों/प्रतिष्ठानों के विभागाध्यक्षों के साथ निजी सचिव अथवा वैयक्तिक सहायक के रूप में ग्रेड–पे ₹ 4600/– (नियमित नियुक्ति) पर न्यूनतम 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव।

उत्तराखण्ड सचिवालय में प्रमुख सचिव/ सचिव के साथ कार्यानुभव रखने वाले कार्मिक/अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।</td></tr>
<tr><td>संविदा</td><td>नियत वेतन ₹ 48500/– प्रतिमाह</td></tr>
</table>

2. उपरोक्तानुसार नियमित कार्मिक, जो प्रभावी नियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण पर कार्य करने के इच्छुक हों, कृपया अपना सुस्पष्ट आवेदन–पत्र अपने सेवा–विवरण कार्यानुभव, विगत 05 वर्षो की वार्षिक चरित्र–प्रविष्टियाँ एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित अग्रसारित करायें।
3. उपरोक्तनुसार सेवानिवृत्त एवं संविदा कार्मिक अपने आवेदन–पत्र पेंशन भुगतान आदेश (सेवानिवृत्त कर्मियों हेतु) तथा समस्त प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों की स्व–प्रमाणित प्रति सहित आवेदन करें।
4. आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर पर हिंदी/अंग्रेजी टंकण परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया जा सकता है।
5. उक्त पद की निरंतरता की स्वीकृति दि० 28 फरवरी, 2018 तक के लिए प्राप्त है। परंतु, इन पदों के निरंतर बने रहने की संभावना है।
6. आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप (प्रारूप को आयोग की वेबसाईट **www.urtsc.uk.gov.in** से डाउनलोड करें।) पर प्रत्येक दशा में सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग को उक्त पते पर केवल पंजीकृत डाक अथवा स्पीड–पोस्ट के माध्यम से दि० 28.04.2017 तक प्राप्त हो जायें। लिफाफे के ऊपर "**निजी सचिव के पद हेतु आवेदन**" लिखा जाय। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
7. उक्त पद/नियुक्ति को बिना सूचना के रद्द करने तथा नियुक्ति पर अंतिम निर्णय का अधिकार मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग को रहेगा, जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

सचिव,
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग।